जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 165/2015 अनवानी श्री प्रताप सिंह शेखावत निवासी 175 गणगौर नगर, रामलीला मैदान के पास, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर.

23.02.2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचनांए चाही गई थी जो उसे निर्धारित अवधि में नही दी गई है इसलिए चाही गई सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र 05.10.2015 से निम्न सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही थीः–

> ''यह कि नगर निकाय आम चुनाव 2014 में शहर श्रीगंगानगर के वार्ड सं0 1 से 50 तक के विजयी पार्षदगणो के समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवावें। यदि सूचना कम्पयूटराईज्ड उपलब्ध है तो सीडी/डिस्क में उपलब्ध करवाई जावे।''

अपीलार्थी के अपीलपत्र के सन्दर्भ में उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 20303 दिनांक 26.11.15 प्रस्तुत किया है कि श्री प्रतापसिंह शेखावत का प्रार्थना पत्र समन्वयक सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर के पत्रांक 15/313 दिनांक 04.11.2015 द्वारा आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर का भिजवाया गया था। आयुक्त नगरपरिषद श्रीगंगानगर ने उक्त प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक 6261 दिनांक 10.11.2015 को समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को यह लिखकर लौटाया कि उक्त प्रार्थना पत्र का संबंध उनके कार्यालय से नही है। प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र व सलंग्नक सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से उन्हे दिनांक 17.11.2015 को प्राप्त हुआ है। सूचनाओ के संबंध में आवेदक को पत्रांक 20256 दिनांक 24.11.2015 द्वारा वार्ड सं0 1 से 50 तक के विजयी पार्षदगणो के समस्त दस्तावेज प्राप्त करने हेतु शुल्क जमा करवाने के लिए लिखा गया है। इसी संबंध में आवेदक ने दिनांक 04.11.2015 को भी यही सूचना प्राप्त करने हेतू आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उनके कार्यालय के पत्रांक 26157 दिनांक 18.11.2015 द्वारा भी शुल्क जमा करवाकर प्रतियां प्राप्त करने हेतू लिखा गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

165/15 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
A3/2

उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पत्र संख्या 20256 दिनांक 24.11.2015 से अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2015 के सन्दर्भ में निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरपरिषद के आम चुनाव 2014 श्रीगंगानगर के वार्ड संख्या 1 से 50 तक के विजयी पार्षदो के आवेदन सहित प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो की प्रतियां चाही है। चाही गई समस्त सूचना के अनुमानित 500 पृष्ठ है जिसका निर्धारित शुल्क 2/– रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि इस कार्यालय में जमा करावे ताकि आपको सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2015 जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 17.11.2015 को प्राप्त हुआ है जिस पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 17.11.2015 के बाद दिनांक 24.11.2015 को लगभग 500 पृष्ट की सूचना के लिए 2रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाने के लिए समय लिखा गया है।

चूंकि उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 17.11.2015 के पश्चात 7 दिन की अवधि में लगभग 500 पृष्टो की सूचना के लिए 2 रूपये प्रति पृष्ट की दर से राशि जमा करवाने के लिए लिखा गया है। इस प्रकार जिला निर्वाचन कार्यालय से किसी प्रकार का कोई विलम्ब या लापरवाही नही की गई है। इसलिए अपीलार्थी को सूचनांए निशुल्क उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। अतः अपीलार्थी उक्तानुसार राशि जमा करवाकर वांछित सूचनांए उक्तानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को हिदायत की जाती है कि यदि अपीलार्थी उक्तानुसार राशि जमा करवा देवे तो नियमानुसार उसे सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.02.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर